<u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u> <u>गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण कमांक : 242/2007

संस्थापन दिनांक 08.05.2007

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियोजन

<u>बनाम</u>

1-राधेश्यामसिंह पुत्र विजयसिंह किरार उम्र 28 साल, निवासी ग्राम सितौरा थाना नूराबाद जिला मुरैना हाल गुटियाना मोहल्ला पुरानी पुलिस चौकी के पास गोसपुरा जिला ग्वालियर — अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक......को घोषित)

- उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 304ए भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 22.03.07 को 11:30 बजे रिठौरा मोड़ सीमेन्ट फैक्ट्री कॉलोनी मालनपुर पर ट्रक क्रमांक एम0पी0—09—के.सी.6746 को तेजी व लापरवाही से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा अभिषेक में टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है।
- अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 22.03.07 को फिरियादी शिवचरन अ0सा06 अपने घर के सामने बाहर बैठा था तथा उसके घर के सामने लगे नल पर उसके लड़के की बहू सरोज पानी भर रही थी। समय दिन के करीब 11:30 बजे उसकी बहू नल से पानी भरकर घर को निकली थी तथा उसका नाती अभिषेक जो फुटपाथ पर खड़ा था नल की तरफ को चला तभी मालनपुर तरफ से ट्रक कमांक एम0पी0—09—के.सी.6746 को उसका ड्रायवर राधेश्याम किरार ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ लाया और उसके नाती अभिषेक में टक्कर मार दी जिससे ट्रक का पहिया अभिषेक के सिर पर से निकल गया और अभिषेक मौके पर ही खत्म हो गया तथा ड्रायवर ट्रक को आगे खड़ा करके भाग

गया। तत्पश्चात फरियादी शिवचरन अ०सा०६ ने थाना मालनपुर में प्रथम सूचना रिपार्ट प्र0पी—4 दर्ज कराई जिस पर से आरोपी के विरुद्ध अप०क० 32/07 पर अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रकट होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

आरोपी ने अपराध की विशिष्टियां अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है और आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

प्रकरण के निराकरण हेतू निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि :--

- 1. क्या घटना दिनांक 22.03.07 को 11:30 बजे रिठौरा मोड़ सीमेन्ट फैक्ट्री कॉलोनी मालनपुर पर ट्रक कमांक एम0पी0—09—के.सी.6746 को तेजी व लापरवाही से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
- 2. क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर आरोपी ने उक्त वाहन से अभिषेक में टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है ?

//विचारणीय प्रश्न क्रमांक ०१ व ०२ पर सकारण निष्कर्ष//

फरियादी शिवचरन अ०सा०६ ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था उसके खबर मिली कि नन्दकिशोर का लडका खतम हो गया है तब वह मौके पर पहुंचा था ट्रक ने नन्दिकशोर के लडके में टक्कर मारी थी जिससे वह खत्म हो गया उसे नहीं पता कि ट्रक का नंबर क्या था तथा उसे कौन चला रहा था क्योंकि वह मौके पर उपस्थित नहीं था। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने एफ.आई.आर प्र0पी–4 दर्ज कराई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं परन्तु एफआईआर प्र0पी-4 में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन चालक का नाम लिखाये जाने से इंकार किया है। परन्तु इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने यह बताया था कि घटना के समय वह घर के बाहर बैठा था और उसकी बहु पानी भरने गयी थी और मृतक अभिषेक फुटपाथ पर खड़ा था रिपोर्ट प्र0पी–4 में यह भी लिखाना स्वीकार किया है कि ट्रक क्रमांक एम0पी0–09–के.सी. 6746 को आरोपी राधेश्याम बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और अभिषेक को टक्कर मार दी जिससे अभिषेक की मृत्यु हो गयी। यह भी लिखाना स्वीकार किया है कि विनोद अ0सा05 व सरोज अ0सा04 ने घटना देखी थी और वह भी घ ाटनास्थल पर उपस्थित था। नक्शामौका प्र0पी–5 व सफीना प्र0पी–6 पर इस साक्षी ने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने फिर कथन किया है कि दुर्घटना की सूचना उसे बामीर में मिली थी और दो घण्टे बाद वह मालनपुर में आया था। जहां 15—20 मिनट रूकने के बाद वह घर गया था। मौके पर पुलिस पहले आ गयी थी जो उसके नाती को लेकर चली गयी थी। उसने थाने पर जिस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे वह कोरे थे और जब वह थाना मालनपुर पहुंचा तब उसे ट्रक खडा मिला था। घटनास्थल पर उसे कोई ट्रक नहीं मिला। अतः मुख्यपरीक्षण में इस साक्षी ने स्वयं की घटनास्थल पर उपस्थिति से इंकार किया है और वाहन चालक को भी देखने से इंकार किया है फिर अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित करने पर स्वीकार किया है कि एफ.आई.आर. प्र0पी—4 में उसने बताया था कि वह घटनास्थल पर उपस्थित था और आरोपी ने ट्रक क्रमांक एम0पी0—09—के.सी.6746 को तेजी व लापरवाही से चलाकर अभिषेक को टक्कर मारी और फिर प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि वह घटना के समय बामौर में था और दो घण्टे बाद आया था उसे घटनास्थल पर कोई ट्रक नहीं मिला था। अतः प्रत्येक चरण पर इस साक्षी ने परस्पर अलग—अलग कथन किए हैं। जिससे इस साक्षी के कथन लेशमात्र भी विश्वसनीय नहीं हैं। इस साक्षी की घटनास्थल पर उपस्थित और उसके द्वारा घटना देखा जाना विश्वसनीय रूप से सिद्ध नहीं होता है।

सरोज अ0सा04 जो अभियोजन मामले में चक्षुदर्शी साक्षी उल्लिखित है और मृतक की मां है, ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि तीन वर्ष पूर्व वह अपने बच्चे अभिषेक के साथ पानी भरने जा रही थी और जब वह पानी भर रही थी तब एक ट्रक ने उसके बच्चे को टक्कर मार दी। गाड़ी बहकती हुई आ रही थी और टक्कर देकर निकल गयी। उसने देखा उसका पुत्र खतम हो गया है वह बेहोश हो गयी इसलिए उसे याद नहीं है कि मौके पर कौन था। ट्रक कौन चला रहा था वह नहीं बता सकती और प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसने ट्रक देखा था लेकिन नहीं मालूम कि ट्रक का डाइवर कौन था उसने न तो ट्रक को आते देखा न घटना घटित होते देखी उसे ट्रक का नंबर भी नहीं मालूम। अतः इस चक्षुदर्शी साक्षी ने भी दुर्घटना आरोपी द्वारा घटित किए जाने अथवा दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का नंबर स्पष्ट नहीं कर सकी है।

विनोद अ०सा०५ जोकि अभियोजन मामले में प्रत्यक्ष साक्षी उल्लिखित है। विनोद अ०सा०५ ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह रोड पर बैठा था दिनांक 04.05.09 से ढाई—तीन वर्ष पूर्व नवरात्रि के समय सीमेन्ट फैक्ट्री के पास की घटना है। उसने देखा था कि एक बच्चा अपनी मां के साथ पानी भरने जा रहा था बच्चा रोड से दो कदम नीचे था तब एक ट्रक लहराता हुआ आया जिसने बच्चे को टक्कर मार दी। टक कौन चला रहा था उसका नाम उसे नहीं मालूम ड्राइवर सामने आये तब भी वह नहीं पहचान सकता क्योंकि घटना दिनांक को भी उसने ड्राइवर को नहीं देखा। उसने गाड़ी से ट्रक का पीछा कर ट्रक का नंबर नोट किया था जो एम0पी0-09-के.सी.6746 था। उसके साथ अन्य 2-3 लडके भी थे जिनका नाम वह नहीं बता सकता। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि लडका अभिषेक उसका भानजा था। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी और न ही वह घटनास्थल पर मौजूद था अपित् मंदिर पर बैठा था और कथन के पैरा 2 में बताया है कि जब घटना घटित हो गयी तब आधा कि0मी0 दूर ट्रक को जाते देखा था तब उसे घटना की जानकारी हुई थी और जब पीछा करने के बाद उसे ट्रक खड़ा मिला तब उसने ट्रक का नंबर नोट किया। उसके 15—20 मिनट बाद एटलस चौराहे पर ट्रक खड़ा मिला था ट्रक का नंबर वह नहीं बता सकता। तथा मुख्यपरीक्षण ने इस साक्षी ने आरोपी चालक द्वारा दुर्घटना कारित किए जाने का कथन नहीं किया है और प्रतिपरीक्षण में भी दुर्घटना के समय स्वयं की घटनास्थल पर उपस्थिति से इंकार किया है अपितु घटना के 15-20 मिनट बाद अन्यत्र स्थान पर खड़े हुए ट्रक से ट्रक का नंबर देखना बताया है। अतः इस साक्षी ने स्वयं को घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होने से इंकार किया है। वाहन चालक को भी देखने से इंकार किया है और ट्रक का नंबर भी दुर्घटना होते समय या ट्रक के दुर्घटना के बाद जाते समय देखने से इंकार किया है अपितु अन्यत्र स्थान पर खड़े ट्रक का नंबर देखकर नंबर बताया है और स्पष्ट कथन किया है कि घटना होते समय उसने ट्रक का नंबर नहीं देखा था। अतः ट्रक का नंबर स्पष्ट किए जाने के कथन भी विश्वसनीय नहीं हैं।

🧪 साक्षी मुकेश अ0सा02 जो अभियोजन मामले के अनुसार घटना के समय नल पर ही नहा रहा था, ने कथन किया है कि दिनांक 13.03.09 से तीन वर्ष पूर्व वह मालनपुर में मंदिर के पास था तब ग्वालियर की ओर से एक ट्रक तेज गति से आया और अभिषेक जो रोड के किनारे खड़ा था को टक्कर मारते हुए चला गया। ट्रक चालक का नाम उसे नहीं मालूम जिसे वह सामने आने पर पहचान सकता है। अतः पहचान के प्रश्न पर इस साक्षी का मुख्यपरीक्षण स्थगित किया गया है। क्योंकि उक्त दिनांक को आरोपी की उपस्थिति अधिवक्ता द्वारा मान्य की गयी थी और आरोपी की उपस्थिति में मुख्यपरीक्षण किए जाने पर आरोपी को देखकर इस साक्षी ने बताया है कि वह नहीं कह सकता कि आरोपी राधेश्याम ही ट्रक को चला रहा था। दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक का नंबर एम0पी0-09-के0सी0-6746 था जो प्रतिपरीक्षण में दिए कथन के अनुसार उसे क्लेम के प्रकरण के दस्तावेजों से ज्ञात हुआ था। इस साक्षी ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि ट्रक वाला टक्कर मारकर आगे चला गया और अभियोजन के सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को बताया था कि आरोपी राधेश्याम ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाया लेकिन वह आरोपी को नहीं पहचान सकता। आरोपी का नाम पुलिस को बताये जाने के संबंध में इस साक्षी ने स्पष्टीकरण दिया है कि क्लेम के प्रकरण से उसने आरोपी का नाम देखा था। अतः न्यायालयीन साक्ष्य में इस साक्षी ने आरोपी द्वारा ही ट्रक चलाया जाना स्पष्ट नहीं किया है और ट्रक का नंबर भी स्वयं देखने से इंकार कर क्लेम के प्रकरण से ज्ञात होना बताया है।

साक्षी नन्दिकशोर अ०सा०३ ने कथन किया है कि दिनांक 13.04.09 से चार वर्ष पूर्व दिन के 11—11:30 बजे उसकी पत्नी सरोज अ०सा०4 पानी भरने गयी थी जिसके साथ बच्चा भी था तब मालनपुर एटलस रोड पर अचानक ट्रक आया जिसे ड्राइवर लापरवाही से चला रहा था और उसके पुत्र को टक्कर मार दी जिससे वह मौके पर ही खतम हो गया। पुलिस ने मौके पर आकर नक्शा पंचायतनामा प्र0पी—2 बनाया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके पिता ने घटना की सूचना पुलिस को दी थी पुलिस ने उसे मृत्यु समीक्षा में बुलाया था। मृत्यु समीक्षा की सूचना प्र0पी—3 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने घटना के समय ड्यूटी पर होना बताया है और घटना साढ़े ग्यारह बजे की होकर उसे 12 बजे सूचना मिलना बताया है और घटना के दस दिन बाद घटनास्थल पर पहुंचना बताया है। अतः यह साक्षी घटना का प्रत्यक्ष साक्षी नहीं है और दुर्घटना कारित करने वाले वाहन चालक तथा वाहन नंबर को भी साक्षी ने स्पष्ट नहीं किया है।

साक्षी डॉ० आलोक शर्मा अ०सा०१ ने कथन किया है कि वह दिनांक 22.03.07 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर कार्यरत था। उक्त दिनांक को थाना मालनपुर के आरक्षक मनोजिसंह नं० 366 द्व ारा लाये जाने पर मृतक अभिषेक पुत्र नन्दिकशोर जमादार उम्र 05 वर्ष निवासी मालनपुर का परीक्षण किया था। मृतक के सिर की हड्डी टूटी हुई थी तथा दिमाग का कुछ भाग बाहर आ रहा था मृतक का चेहरा पिचका हुआ था तथा शरीर में अकड़न नहीं थी। उसकी रिपोर्ट प्र0पी–1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके मतानुसार मृतक की मृत्यु सिर में आई चोट से होना संभव है। यह चोट एक्सीडेन्टल होना प्रतीत होती है तथा उसके शवपरीक्षण के 06 घण्टे के भीतर की है।

साक्षी रामकरण अ०सा०७ ने कथन किया है कि वह दिनांक 22.03.07 को थाना मालनपुर में पदस्थ था। उक्त दिनांक को अप०क० 32/07 धारा 304ए भा.द.वि. के वाहन की मैकेनिक जांच उसके द्वारा की गयी। जिसकी जांच की गयी उस वाहन का नंबर एम0पी0—09—के.सी.6746 टाटा ट्रक था। वाहन चालू हालत में था। ट्रांसमिशन सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, स्टेरिंग सिस्टम, ब्रेक, लाइट, टायर कण्डीशन सभी सिस्टम सही काम कर रहे थे। सामने के दोनों कांच फूटे हुए थे। उक्त मैकेनिकल जांच प्र0पी–7 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

अतः किसी प्रत्यक्ष साक्षी ने यह विश्वसनीय कथन नहीं किया है कि ६ ाटना के समय आरोपी ही दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को चला रहा था अथवा दुर्घटना वाहन क्रमांक एम०पी०–०९–के.सी.६७४६ से हुई है। अभियोजन का मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य पर निर्भर है। अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तृत साक्ष्य की विवेचना से अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 22.03.07 को 11:30 बजे रिटौरा मोड सीमेन्ट फैक्ट्री कॉलोनी मालनपुर पर ट्रक क्रमांक एम0पी0-09-के.सी.6746 को तेजी व लापरवाही से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा अभिषेक में टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है। 💉

परिणामतः आरोपी को धारा 279, 304 भा.द.स. के आरोप से 13 दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं 🌠 14

प्रकरण में जप्त वाहन ट्रक क्रमांक एम0पी0-09-के.सी.6746 आवेदक न्याह्य के आदे सही / — (गोपेश गर्ग) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड म०प्र० विशाल सिंह राठौर की सुपुर्दगी में है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात उन्मोचित समझा जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

15